राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/खुली बिकी/2017/1123 दिनांकः– 10/3/17

आदेश

मण्डल की विवेक विहार योजना, कुड़ी भगतासनी, जोधपुर के विभिन्न आय वर्ग के कुल 185 फ्लेट (जी+3) को खुली बिकी योजना के तहत नगद भुगतान पद्धति पर निस्तारण करने हेतु आदेश कमांक मुसप्र/2016/201 दिनांक 05.05.2016 से स्वीकृति प्रदान की गई थी।

पुनः उप आवासन आयुक्त वृत प्रथम जोधपुर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वितीय, जोधपुर एवं मुख्य अभियन्ता–द्वितीय के माध्यम से उक्त कुल 185 विभिन्न आय वर्ग के फ्लेटों (जी+3) को खुली बिकी योजना के तहत किराया कय पद्धति एवं नगद भुगतान पद्धति से निस्तारण करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त विभिन्न आय वर्ग के 185 फ्लेटों(जी+3) को खुली बिकी योजना के तहत केवल नगद भुगतान पद्धति से निस्तारण करने की स्वीकृति पुनः प्रदान की गई है।

अतः तदानुसार पूर्व में जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2016/201 दिनांक 05.05.2016 में वर्णित फ्लेटों को निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। शेष अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त/अध्यक्ष महोदय का पैरा संख्या 49/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, रा0 आ0 मा0, जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त –प्रथम, रा0आ0म0 जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, रा0आ0म0 जोधपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबंधक (मु.)